संजय कुमार बनाम पूर्णमल मु. नं. 44/24

दिनांक	आज्ञा पत्र	
22.10.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। वकील रेस्पो. को बहस हेतु समय चाहा। वास्ते बहस दिनांक 24.10.24 को पेश हो। [signature]	
24.10.24	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30/10/24 को पेश हो। [signature]	
30/10/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर
5.11.24	अपीलांट वकील ने प्रा. पत्र धारा-152 का पेश किया। शामिल रहे। प्रा. पत्र का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थित है प्रा. पत्र धारा-152 स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 30.10.24 को न्यायालय अधिकारी सहायक कलेक्टर [illegible] सीकर के मुकदमा की [illegible] सं. 147/22 लिखा गया। जबकि मुकदमा संख्या 57/22 सही लिखा गया है। न्यायालय द्वारा दिये निर्णय दिनांक 30.10.24 में अधीनस्थ न्यायालय के मु. नं. 57/22 पढ़ा जावे। पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे नम्बर से कम हो। [signature]	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 44 / 2024

1 संजय कुमार पुत्र स्व. श्री रामदेव
2 राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री रामदेव
3 कविता पुत्री स्व. श्री रामदेव
4 सरला देवी पुत्री स्व. श्री रामदेव
5 शांति देवी पत्नी स्व. श्री रामदेव
जाति समस्त यादव (अहीर) निवासीगण रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 पूर्णमल पुत्र स्व. गणपत
2 फूलचन्द पुत्र स्व. गणपत
3 मानसिंह पुत्र स्व. गणपत
जाति समस्त यादव (अहीर) निवासीगण रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
4 उप पंजीयक महोदय, पलसाना जिला सीकर राज.।
5 पटवारी, पटवार हल्का रानोली जिला सीकर राज.।
6 भूधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1956 विरूद्ध आदेश दिनांकित 31.01.2024 न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर मुकदमा संख्या 147/2022 बउनवानी पूर्णमल आदि बनाम संजय कुमार आदि।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री बजरंगलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पुरूषोत्तम शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 147/2022 में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के हक अधिकार एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1653/1345 रकबा 1.1190 हैक्टेयर जिसमें प्रार्थी की रिकार्डेड खातेदारी प्रत्येक की 12977/68500 हिस्सा एवं भूमि खसरा नम्बर 1351, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1701/1344, 1703/1350 कुल किता 9 कुल रकबा 5.2310 हैक्टेयर, जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 2/45 प्रार्थी संख्या 2 का 31/360 एवं प्रार्थी संख्या 3 का 2/415 की रिकार्डेड खातेदारी है तथा खसरा नम्बर 1705/1340, 1707/1347, 1709/1348, 1711/1349 कुल किता 4 कुल रकबा 0.6320

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

हैक्टेयर जिसमें प्रार्थी संख्या 1 व 3 का 2/45, प्रार्थी संख्या 2 का 31/360 हिस्से की रिकोर्डेड खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। उक्त वर्णित समस्त भूमियां ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। जिस पर अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 शामलाती रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिसके संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने एक दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा माननीय विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन भी पेश किया जिसमें माननीय विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक वाके ग्राम रानोली तहसील दांतरामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित आराजियात खसरा नम्बर भूमि खसरा 1653/1345 रकबा 1.1190 हैक्टेयर एवं भूमि खसरा नम्बर 1351, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1701/1344, 1703/1350 कुल किता 9 कुल रकबा 5.2310 हैक्टेयर, तथा खसरा नम्बर 1705/1340, 1707/1347, 1709/1348, 1711/1349 कुल किता 4 कुल रकबा 0.6320 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने वादी/प्रार्थी द्वारा एक तथाकथित अपूर्ण अपंजीकृत पारिवारिक समझौता प्रलेख दिनांक 12.09.2003 पेश किया गया जिसका कोई विधिक महत्व नहीं है। वादग्रस्त भूमियों में अपीलान्टस का हक व हिस्सा बनता है। जो कि उन्हें पैतृकता के आधार पर प्राप्त हुई है तथा वर्तमान में अपीलार्थीगण भी अपने हक व हिस्से अनुसार कब्जा कर काश्त करते चले आ रहे है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत वाद केवल मात्र उक्त तथाकथित अपंजीकृत पारिवारिक समझौता प्रलेख दिनाकं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

12.09.2003 को आधार मानते हुये अपने पक्ष में खातेदारी उद्घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। चुंकि उक्त तथाकथित प्रलेख का कोई विधिक महत्व नहीं होने के कारण वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का वाद सबल व सुदृढ़ स्थिति में नहीं रहा है तथा साथ ही अपीलान्ट उक्त वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने के कारण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 3 के पक्ष में न होकर अपीलान्ट के पक्ष में रहा है तथा साथ ही चुंकि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार अपीलान्ट ही है। विचारण न्यायालय द्वारा मूलवाद से अपने आदेश में जिस कथाकथित समझौता पत्र उल्लेखित समझौता पत्र दिनांक 12.09.2003 को आधार बनाया गया है वह एक अपूर्ण दस्तावेज होने के साथ साथ पूर्णतः स्टाम्पित नहीं है और न ही रजिस्टर्ड है इसलिए इसका कोई साक्षिक मूल्य नहीं है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व अपीलान्टस के पिता के बीच किसी भी प्रकार का कोई बंटवारा या फैमिली सेटलमेंट नहीं हुआ है तथा सभी अपने अपने हक व हिस्सेनुसार शामिल रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त भूमियों का कुछ हिस्सा जीपीएसएल लिमिटेड द्वारा अधिगृहित कर मुआवजा भी अपीलान्टस के पक्ष में जारी किया गया है इससे भी स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का अपीलान्टस की भूमियों से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होने से भी माननीय विचारण न्यायालय ने तथ्यों व परिस्थितियों से परे जाकर बिना साक्ष्यों पर गौर किये ही उक्त विचाराधीन निर्णय पारित किया है जो कतई स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमियों के राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित आराजियात की खातेदारी में प्रार्थीगण के साथ–साथ अप्रार्थीगण के पिता व पति का भी नाम व हिस्सा दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि पारिवारिक समझौता पत्र (फैमिली) सेटलमेंन्ट दिनांक 12.09. 2003 के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता व पति रामदेव ने आपसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सहमति से इसको तैयार किया है, जिस पर दो स्वतंत्र गवाहान के भी हस्ताक्षर है। प्रमाणित प्रतिलिपि शपथ–पत्र द्वारा रामदेव में भी रामदेव ने स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर 1345 में मेरा हक व हिस्सा है लेकिन मेरे हक व हिस्से की भूमि का नामान्तकरण मेरे भाई व माता के नाम से स्वीकार किया जाता है तो भविष्य में मैं कोई क्लेम नहीं करूंगा। प्रार्थीगण ने उक्त वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है, जिसका अंतिम निस्तारण प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य व गुणावगुण के आधार पर किया जावेगा। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने वादी/प्रार्थी द्वारा एक अपंजीकृत पारिवारिक समझौता प्रलेख दिनांक 12.09.2003 पेश किया गया विधि अनुसार अपंजीकृत दस्तावेज साक्ष्य में मान्य नहीं है। वादग्रस्त भूमियों में अपीलान्टस का हक व हिस्सा बनता है जो कि उन्हें पैतृकता के आधार पर प्राप्त हुई है तथा वर्तमान में अपीलार्थीगण भी अपने हक व हिस्से अनुसार कब्जा कर काश्त करते चले आ रहे है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत वाद केवल मात्र उक्त तथाकथित अपंजीकृत पारिवारिक समझौता प्रलेख दिनाकं 12.09.2003 को आधार मानते हुये अपने पक्ष में खातेदारी उद्घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। चुंकि उक्त तथाकथित प्रलेख का कोई विधिक महत्व नहीं होने के कारण वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का वाद सबल व सुदृढ़ स्थिति में नहीं रहा है तथा साथ ही अपीलान्ट उक्त वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने के कारण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 3 के पक्ष में न होकर अपीलान्ट के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पक्ष में रहा है तथा साथ ही चुंकि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार अपीलान्ट ही है। सभी अपने अपने हक व हिस्सेनुसार शामिल रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त भूमियों का कुछ हिस्सा जीपीएसएल लिमिटेड द्वारा अधिगृहित कर मुआवजा भी अपीलान्टस के पक्ष में जारी किया गया है इससे भी स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का अपीलान्टस की भूमियों से किसी प्रकार का हक व कब्जा काश्त नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर